

08 $\frac{4}{25}$:-

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली दिनांक 25.07.2022 से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की तलबी में विचाराधीन चल रही है। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अवसर दिनांक 26.8.22, 12.10.22, 09.07.2024, 17.12.2024 को हिदायत के साथ दिये गये हैं। वकील प्रार्थी को गत तारीख पेशी 17.12.2024 को अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन की जाने बाबत अन्तिम अवसर साबिका आदेश की पालना नहीं किये जाने पर प्रकरण हाजा को सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 5 के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ अन्तिम अवसर दिया गया था। परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 अदम तकमील में खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



(जीतू कुलहरी)

उपखण्ड अधिकारी

नावां (डीडवाना--कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी

नावां